

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक- 1493 /14-1 (कैम्प चन्दौसी) दिनांक- 7.3-मार्च, 2018।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय:- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ द्वारा मेरठ बदायूं मार्ग (बबराला-बदायूं मार्ग एस०एच०-18) किमी० 145 के मध्य की दांयी पट्टी पर ग्राम-गुन्नौर अब्दुल हई, तहसील गुन्नौर, जिला सम्भल के गाटा संख्या-347, 348 व 349 में पेट्रोल पम्प निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि जनपद सम्भल में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, मेरठ द्वारा मेरठ बदायूं मार्ग (बबराला-बदायूं मार्ग एस०एच०-18) किमी० 145 के मध्य की दांयी पट्टी पर ग्राम-गुन्नौर अब्दुल हई, तहसील गुन्नौर, जिला सम्भल के गाटा संख्या-347, 348 व 349 में पेट्रोल पर वाहनों के आवागमन हेतु क्षेत्रफल 0.076964 है० संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य प्रस्तावित है जिसके कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में विषयक प्रस्ताव प्रभाग स्तर से वेबसाईट पर **Part-II** अपलोड कर दिया गया है, तथा प्रस्ताव 03 प्रतियों में संस्तुति सहित संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करना चाहें।

संलग्नक- प्रस्ताव 03 प्रतियों में।

भवदीय,

(एम०पी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या-

उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि- श्री अमरेश कुमार, एरिया सेल्स सेल्स मैनेजर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एम०पी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।